



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 662 राँची, सोमवार,

21 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-52-2017-11526 (HRMS)-- श्री मिथिलेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के विरुद्ध राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-830/रा0प0, दिनांक 11.09.2017 के द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री सिंह के विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप संख्या-1. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू को वर्ष 2016 में राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2016 के राँची केन्द्र पर दिनांक 29.12.2016 को ली गई प्रशासनिक सेवा के विधि भाग-II (पुस्तक रहित) में कदाचार करते हुए पकड़ा गया जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372, दिनांक-18.06.2003 के द्वारा संसूचित विभागीय परीक्षा नियमावली, 2003 के Instruction to Examinees की कंडिका 16 का उल्लंघन है। श्री सिंह झा0प्र0से0 (संवर्ग नियंत्री विभाग- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) दिसम्बर 2016 में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू, राँची के पद पर पदस्थापित थे।

आरोप संख्या-2. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 द्वारा किया गया उक्त कार्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव एवं सरकारी कार्यों के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-12368, दिनांक-19.12.2017 तथा पत्रांक-10269, दिनांक-24.12.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-

1612(ii), दिनांक 31.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1151, दिनांक-12.02.2020 तथा विभागीय पत्रांक-3591, दिनांक-24.07.2020 द्वारा सचिव, राजस्व पर्षद झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-406/रा0प0, दिनांक-04.08.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए नियमसंगत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में विभागीय समीक्षा की गयी जो निम्नवत है:-

(i) राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धसरकारी अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2016 के राँची परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 29.12.2016 को ली गई प्रशासनिक सेवा की विधि भाग-2 (पुस्तक रहित) की परीक्षा में श्री सिंह को कदाचार करने के कारण राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची द्वारा विभागीय परीक्षा नियमावली, 2003 के Instruction to Examinees की कंडिका 16 में निहित प्रावधानों के आलोक में आगामी दो विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

(ii) श्री सिंह द्वारा जब्ती सूची में स्वीकार किया गया है कि परीक्षा हॉल में उनके पास से पाये गये मोबाइल से प्रिंटआउट निकाला गया है जो परीक्षा के उत्तर सामग्री से संबंधित है।

(iii) श्री सिंह की उत्तरपुस्तिका में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हू-ब-हू उनके मोबाइल से निकाले गए प्रिंट आउट से मिलना उनका विभागीय परीक्षा में कदाचार में लिप्त होने का पर्याप्त साक्ष्य है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MITHLESH KUMAR SINGH JHK/JAS/197	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
